

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और ऋणियों / जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्न वर्णित ऋणी व जमानतदारों से सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, प्रतिभूति लेनदार की वसूली हेतु दिनांक 25.03.2019 को बेचा जाएगा। प्रतिभूति-दाता, आरक्षित मूल्य व अग्रिम धन राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

क्र.	ऋणी/सह-ऋणी/बंधकर्ता का नाम व खाता संख्या	संपत्तियों का विवरण	बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस दिनांक.	आरक्षित मूल्य (₹)	धरोहर राशि (10%) (₹)
				कब्जा नोटिस दिनांक		
1.	ऋणी : विकास जैन पिता सुरेन्द्र कुमार जैन सहःऋणी : श्रीमती मोनिका जैन पति श्री विकास जैन खाता क्र. : - 013022500003 23)	प्लॉट नं. 202, दुसरी मंजिल, विनायक अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 30, पदमावती कॉलोनी, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल: 980 वर्ग फीट, चतुर्सीमा: पूर्व : ओपन टू स्काय बाद सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. 203, उत्तर: प्लॉट नं. 201 दक्षिण: प्लॉट नं. 31	₹ 29,12,679/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार - कोई राशि जमा की गई हो तो	05.07.2016 13.09.2016 भौतिक	₹ 26,00,000/-	₹ 2,60,000/-
	ऋणी : श्री शादाब शेख पिता श्री शौकत शेख सहःऋणी : श्रीमती आलम शेख पति श्री शौकत हुसैन खाता क्र. : - 013023400000 43)	प्लॉट नं. 49-बी, उत्तम नगर कॉलोनी, वार्ड क्र. 05, ग्राम ईटावा, तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल: 726.30 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. 42, उत्तर: प्लॉट नं. 49-ए पर बना मकान, दक्षिण: प्लॉट नं. 50 पर बना मकान,	₹ 7,19,109/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार - कोई राशि जमा की गई हो तो	28.02.2017 20.06.2017 भौतिक	₹ 10,84,000/-	₹ 1,08,400/-

नियम व शर्तें : (1). नीलामी जहाँ है, जैसा है, और जो कुछ भी है के आधार पर की जा रही है। (2). प्रतिभूति सम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा। (3). इच्छुक क्रेता / बोलीदाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीकृत बैंक) के माध्यम से धरोहर राशि (ईएमडी) राशि (आरक्षित मूल्य के 10% से कम नहीं) के साथ एक बंद लिफाफे में निर्धारित निविदा फार्म में अपनी निविदा प्रस्तुत करनी होगी। सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, इन्दौर शाखा के उपरोक्त पते पर दिनांक 25.03.2019 को दोपहर 03.00 बजे से पहले सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, इन्दौर शाखा के पक्ष में जमा करानी होगी। (4). सीलबंद लिफाफे को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन्दौर शाखा में पात्र/उपलब्ध इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में सांय 5.00 बजे खोला जायेगा। जिन्होंने नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 25.03.2019 को सांय 3.00 बजे तक ईएमडी राशि जमा करवाई है। (5). प्राधिकारी की उत्तम जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभार नहीं है। फिर भी इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले प्रभारों, सीमांकन, सीमाओं, सम्पत्ति के शीर्षक से सम्बंधित स्वयं कि स्वतन्त्र जानकारी तथा निरीक्षण करके स्वयं को सन्तुष्ट करना चाहिए। कम्पनी किसी भी प्रभार तथा सम्पत्ति पर बकाया जो कि नीलामी दिनांक के बाद में कम्पनी की जानकारी में आता है तो कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों /अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (6). बोली जमा करने से पहले सम्पत्ति और सीमांकन के बारे में निरीक्षण करना और सन्तुष्टि करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के निरीक्षण में रुचि रखने वाले बोलीदाताओं को दिनांक 09.03.19 से 24.03.19 तक सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच अनुमति होगी। (7). सफल बोलीदाता/उच्चतम बोली लगाने वाले की धरोहर राशि आंशिक बिक्री विचार के लिए रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। विक्रय की पुष्टि उस क्रेता के पक्ष में की जाएगी जिसके द्वारा उच्चतम बोली लगाई जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी को दी गई है एवं प्रतिभूति लेनदार द्वारा जिसकी पुष्टि की जाएगी। उच्चतम बोली प्रतिभूति लेनदार/प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधिन होगी। (8). सफल बोली लगाने वालों को बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी भूगान सहित) जमा करना होगा, बिक्री मूल्य का शेष 75% उसी दिन या उसके बाद में अगले कार्य दिवस में जमा करवाना होगा। बिक्री की पुष्टि के 15 दिवस के भीतर या नियम 9(4) के अन्तर्गत अन्य किसी बढी हुई समयावृद्धि में करवायेगा तथा यदि बोलीदाता शेष राशि जमा करवाने में चूक करता है तो कम्पनी पूर्व में जमा राशि को जब्त कर लेगी तथा कम्पनी द्वारा सम्पत्ति को पुनः बेच दिया जायेगा। (9). क्रेता स्टाम्प ड्युटी/पंजीकरण शुल्क/ अन्य खर्चे आदि वैधानिक/अवैधानिक बकाया कर/समायोजन खर्चे आदि स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा किये गये हो को स्वयं को वहन करना होगा। (10). प्राधिकृत अधिकारी सर्वोच्च प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का बिना किसी कारण बताये नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। (11). सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नियम 8(6) के तहत ऋणी/जमानतदार/सम्पत्ति मालिक को भी उपरोक्त ऋण के संदर्भ में उपरोक्त वर्णित संपत्ति की बिक्री के लिए सूचित किया जाता है।